(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2291–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–07–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–494/अपील/2007–08.

....

1– संजय कुमार मिश्रा पुत्र श्री श्रीनाथ मिश्रा
2– सतीश कुमा मिश्रा पुत्र श्री श्रीनाथ मिश्रा
निवासीगण–ग्राम रूहियां, तहसील अमरपाटन,
जिला–सतना(म0प्र0)

––––––––––आवेदकगण

विरूद्ध

गुरू रमेश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री गुरू स्व0 त्रिलोकी नाथ शर्मा,
निवासी– ग्राम रूहियां, तहसील अमरपाटन,
जिला–सतना(म0प्र0)

–––––––––––अनावेदक

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 23/01/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–07–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता एवं अनावेक के पिता के मध्स दिनांक 10.07.1983 को आपसी घरू बटवारा हुआ था। अनावेदक तथा उसके पिता के मध्य दिनांक 10.06.92 को रजिस्टर्ड बंटवारा किया गया । इस विभाजन को आवेदकगण

के पिता द्वारा सिविल वाद में चुनौती दी गई, जिसे शून्य घोषित किया गया। अनावेदक द्वारा ग्राम रूहियां की भूमि सर्वे क्रमांक 387/1 का 422, 433, 494, 495, 496 कुल किता 6, कुल रकबा 7.50 एकड़ पर विभाजन नामांतरण आवेदन तहसील न्यायालय में पेश किया गया। जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2000 द्वारा स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन द्वारा दिनांक 13.11.2000 को अपील स्वीकार की गई, एवं तहसील न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के प्रत्यावर्तित आदेश के पालन में तहसील न्यायालय ने दिनांक 07.08.2001 को आदेश पारित कर अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अवोदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई, जो आदेश दिनांक 29.03.2004 द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण गुण–दोषों पर निराकरण करने हेतु पुनः तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ–6/2000–01 आदेश दिनांक 29.04.2006 द्वारा अनावेदक का आवेदन खारिज किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा पुनः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई जो आदेश दिनांक 14.01.08 द्वारा खारिज की गई । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 494/अपील/2007–08 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 09.07.2012 अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा बिन्दुवार लिखित तर्क प्रस्तुत किया कि जब पक्षकारों के मध्य आपसी घरू विभाजन सन् 1983 में ही सहमति के आधार पर हो गया था, तब इसके पश्चात तथाकथित सन् 1992 एवं 1999 में किया गया विभाजन अवैध था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन द्वारा अपास्त कर प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा समझने में त्रुटि की है। तथाकथित वसीयत के विषय में सिविल न्यायालया द्वारा निर्णय पारित किया गया था, जब इस प्रकरण की विवादित भूमियां भिन्न–भिन्न है। सिविल न्यायालय का निर्णय तथाकथित वसीयत नामा की भूमियां भिन्न–भिन्न होकर असंबद्ध है। इस कारण सिविल न्यायालय का निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं हो सकता था। विचारण

न्यायालय एवं अपील न्यायालय के आदेश वैधानिक थे, इसे द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा समझने में त्रुटि की गई है, क्योंकि सिविल न्यायालय का निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं था, जिस कारण अपील न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। सिविल न्यायालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील वर्तमान में भी लंबित है। इस कारण सिविल न्यायालय के निर्णय की अंतिमता नष्ट हो गई थी। आवेदकगण के पिता एवं अनावेदक के पिता के मध्य सहमति से बटवारा आदेश दिनांक 10.07.1983 को हो गया था, तब इसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रथम दृष्टया ग्राह्य ही नहीं था, क्योंकि सहमति से हुये बटवारे के आदेश के विरूद्ध कुछ कहने से विबंध (स्टोपड) हो गये थे, इस कारण भी द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत 1989 आर.एन. 14(उच्च न्यायालय), 1988 आर.एन. 94(उच्च न्यायालय), 1990 (11) म0प्र0 वीकली नोट्स 64, 1984 आर.एन. 36 (उच्च न्यायालय), 1990 आर.एन. 114 (उच्च न्यायालय), 2014 आर.एन. 220, 2004 आर.एन. 359 1988 जे.एल.जे. 1 (उच्च न्यायालय), एवं 1976 आर.एन. 1 (उच्च न्यायालय) अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया है।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रतिउत्तर में लिखित तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों तहसील न्यायालय क प्रकरण क्र0 24/अ–6/2000–01 आदेश दिनांक 29.04.2006 एवं प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 55/अपील/06 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2008 का सम्यक रूप अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर एवं परिशीलन किया जाकर अलावा इसके सिविल न्यायालय के निर्णय व्यवहार वाद क्रमांक 221ए/94 निर्णय दिनांक 16.07.96 न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अमरपाटन एवं व्यवहार वाद क्रमांक 127ए/2006 निर्णय दिनांक 21.12.2009, न्यायायल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अमरपाटन, जिला–सतना तथा न्यायालय अपर जिलाधीश अमरपाटन, जिला–सतना के सिविल अपील क्र0 1ए/2010 निर्णय दिनांक 30.03.2012, उक्त तीनों सिविल न्यायालय के निर्णय एवं निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुये, जिस पर तहसील न्यायालय एवं प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी न गौर कया गया और न विचार किया गया । सिविल न्यायालय के निर्णय/आदेश के विरूद्ध अपने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश होने से द्वितीय अपील न्यायालय, अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा नायब तहसीलदार, अमरपाटन का आदेश दिनांक 29.04.06 एवं

अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन का आदेश दिनांक 14.01.2008 (अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश) अनुचित, अवैधानिक ठहराव जाकर अपने आदेश दिनांक 09.07.2012 द्वारा अपास्त किया जाकर सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुसार बटवारा/नामांतरण की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार अमरपाटन को आदेशित एवं निर्देशित किया गया है, जो कि आदेश अपर आयुक्त का न्यायसंगत, विधि संगत एवं उचित है। न्यायालय को गुमराह/भ्रमित किया गया है, जो कि आधार के कण्डिका 2 में उल्लेख किया गया है कि द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई है तथा कण्डिका 3 में उल्लेख किया गया है कि असंबद्ध निर्णय के आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश को अपास्त करने में वैधानिक त्रुटि की गई है— जो कि आधार पुनरीक्षण सर्वथा गलत है। द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण को समझने में त्रुटि की गई और न ही सिविल न्यायालय के असंबद्ध निर्णय का आधार लिया गया है। अपर आयुक्त द्वारा वादग्रस्त भूमियों से संबंधित असंबद्ध सिविल न्यायालय का आधार लिया गया है। आधार निगरानी मेमों के कण्डिका छः में आवेदकगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वर्ष 1983 में विभाजन हो गया था । यह नहीं बताया गया है और न उल्लेख किया गया है कि पिता गुरू त्रिलोकीनाथ तथा पुत्र रमेश प्रसाद का हिस्सा सम्मिलित(संयुक्त) रहा है। यह भी नहीं बताया गया है कि पिता त्रिलोकीनाथ से पुत्र श्रीनाथ पूर्णतः अपना हिस्सा प्राप्त कर पृथक हो गये थे। आधार निगरानी, कण्डिका सात में यह तस्लीम किया गया है कि सन् 1992 एवं 1999 के विभाजन अनावेदक एवं उनके पिता त्रिलोकीनाथ के मध्य है, जो आवेदकगण पर आपदृक्ट नहीं है। जो कि पुत्र रमेश प्रसाद द्वारा पिता—पुत्र के मध्य विभाजन में प्राप्त भूमियों के बावत ही तहसील न्यायायल में नामांतरण/बटवारा का आवेदन अन्तर्गत धारा 178/110 म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में उक्त आवेदकगण द्वारा आपत्ति किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वर्ष 2000 से अब तक 15—16 वर्षों से उक्त आवेदकगण द्वारा प्रार्थी/अनावेदक को अनावश्यक ही तंग किया गया है, जो कि सरासर द्वेषपूर्ण आपत्ति तथा विभिन्न न्यायालयों में मुक्दमेंबाजी की स्थिति उत्पन्न की गई है, जबकि आवेदकगण के हक का बहुत पहले ही सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.1996 के अनुसार हिस्से में प्राप्त हो चुकी है। ऐसे में आवेदकगण की आपत्ति निराधार है। अंत अनावेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग

रीवा द्वारा पारित आदेश यथावत रखे जाने तथा डिक्री के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के लिखित तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदकगण एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है। अनावेदक के पिता स्व0 श्री त्रिलोकीनाथ के दो पुत्र एक तो अनावेदक गुरू रमेश प्रसाद एवं आवेदकगण के पिता श्रीनाथ मिश्रा थे। जिनके बीच हिस्साबांट कई वर्ष पहले हो चुका था। आपसी हिस्साबांट के आधार पर प्राप्त भूमियों में श्रीनाथ मिश्रा अलग से काबिज हो गये थे। उपरोक्त भूमि के संबंध में श्रीनाथ मिश्रा द्वारा अपने पिता यानी त्रिलोकीनाथ के विरूद्ध दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा यह माना कि श्री नाथ मिश्रा को भूमियां हिस्से में प्राप्त हो चुकी है तथा हिस्से में प्राप्त भूमियों के संबंध में विधिवत विभाजन स्वीकार करते हुये सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अनावेदक द्वारा तहसीलदार माहौरी कटरा की अदालत में बटवारे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के पिता द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । आवेदकगण के पिता द्वारा पिता के समय ही हिस्सा बांट कराकर अलग भूमियां प्राप्त कर लिया था तथा अनावेदक के हिस्से में भूमियां शेष थी। आवेदकगण के द्वारा हिस्सा बांट कर लेने के बाद शेष बची भूमियों में अनावेदक एवं उनके पिता द्वारा नामांतरण चाहा गया । शेष पिता के नाम बची भूमियों यानी पिता श्री त्रिलोकीनाथ द्वारा अपने हिस्से की भूमियां को रहजये वयीत अनावेदक के पुत्रों करे दे दी गई, जिसके संबंध में सिविल न्यायालय के द्वारा भी निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई है। माननीय अपर जिला–न्यायाधीश अमरपाटन सतना के प्रकरण सिविल अपील क्र0 1ए/10 निर्णय दिनांक 30.03.2012 में आवेदकगण का दावा समाप्त किया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा चुका है। सिविल न्यायालय द्वारा अनावेदक के पक्ष में निर्णय एवं डीक्री जारी किया गया है। चूँकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों में बंधनकारी है। वर्तमान प्रकरण में सिविल न्यायालय द्वारा विस्तृत डिक्री पारित की गई है, ऐसे में उसमें हस्तक्षेप की आवश्कता की अधिकारिता प्रतीत नहीं होती। अतः प्रस्तुत निगरानी

स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, फलतः निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2012 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापिस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,